

विशेष नोट:-

- I- राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2016 हेतु पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या 01/2016 दिनांक 06.07.2016 के तहत जिन आवेदकों द्वारा लेवल द्वितीय के लिए आवेदन किया गया उन्हें दुबारा आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन राज्य सरकार की संशोधित अधिसूचना दिनांक 29.08.17 के अनुसार (विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 6.1 (B) के अनुसार) अपनी शैक्षिक योग्यता से संबंधित संपूर्ण सूचनाएँ ऑन लाईन पोर्टल पर पूर्व आवेदन पत्र की एप्लीकेशन रेफरेन्स आई डी का उपयोग कर अपना डाटा अपडेट करना होगा अन्यथा संपूर्ण सूचनाओं के अभाव में उनका पूर्व का आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा।
 - II- यदि किसी आवेदक के पास उसकी एप्लीकेशन रेफरेन्स आई डी उपलब्ध नहीं हो अथवा पूर्व के आवेदन में कोई त्रुटि का संशोधन करना चाहता है तो उस अभ्यर्थी को नया आवेदन ही करना होगा।
 - III- विज्ञप्ति (संशोधित) की शर्तों के अनुसार पात्रता रखते वाले इच्छुक आशार्थी Online Application Form भर सकते हैं।
 - IV- Online Application Form में वांछित समस्त सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर दिया जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जावेगा। ऑन लाईन आवेदन के पश्चात् उस आवेदन के क्रम में आवेदित पद एवं आवेदित श्रेणी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अनुज्ञेय नहीं होगा।
 - V- विज्ञापित पदों में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसके लिये अलग से विज्ञप्ति जारी नहीं की जावेगी।
 - VI- आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अधीन परिवर्तनीय होगी।
 - VII- एक बार ऑन लाईन आवेदन Submit होने के पश्चात् कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
 - VIII- यदि कोई अभ्यर्थी तृतीय श्रेणी अध्यापक के द्वितीय स्तर कक्षा VI-VIII के लिए निर्धारित योग्यता धारित करता है तथा अलग अलग विषय हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे विषयवार पृथक-पृथक आवेदन मय पृथक-पृथक शुल्क भरना होगा।
 - IX- आवेदक द्वारा द्वितीय स्तर में एक विषय में एक से ज्यादा आवेदन पत्र भरने पर अंतिम आवेदन पत्र मान्य होगा।
 - X- किसी भी परिस्थिति में आवेदक का ऑफ-लाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
2. **ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया :-** राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती, 2016 (संशोधित) पद हेतु आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को www.sso.rajasthan.gov.in पर अपना पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। उक्त वेबसाइट पर Not a registered user पर क्लिक कर पंजीयन करवाये। पंजीयन करवाने के पश्चात् SSO ID एवं पासवर्ड से लॉगिन किये जाने पर ऑनलाइन वेबसाइट www.education.rajasthan.gov.in/elementary पर आवेदन किया जा सकेगा। जो अभ्यर्थी पूर्व में ही SSO की वेबसाइट पर पंजीकृत है वे SSO ID एवं पासवर्ड से उक्त वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे। आवेदक आवेदन पत्र राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से भर सकते हैं अथवा आवेदक स्वयं भी ऑन-लाईन आवेदन पत्र भर सकता है। आवेदन पत्र भरने वाले प्रत्येक आवेदक (चाहे आवेदक स्वयं ऑन-लाईन आवेदन करें या ई-मित्र से ऑन-लाईन करावें) को निर्धारित तिथियों में आवेदन शुल्क + रुपये 26/- जमा करवाना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने के लिए अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ऑनलाइन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन कार्यालय द्वारा स्वीकार्य नहीं होगा। इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
3. **जिलेवार रिक्त पद :-** गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP) की रिक्तियों का जिलेवार, लेवलवार एवं विषयवार विस्तृत विवरण विभाग की वेब साइट www.education.rajasthan.gov.in/elementary पर उपलब्ध है।
 4. **आरक्षण :-** नियुक्ति के सम्बंध में आरक्षण का प्रावधान इस विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 8.2 पर उल्लेखित हैं।
 5. **वेतनमान :-** राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2008 के नियम 21 के अनुसूची (iv) के अनुसार परीवीक्षाकाल में नियत पारिश्रमिक रुपये 13200/- देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षति पूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधाएँ एवं अवकाश आदि राजस्थान पंचायती राज नियम एवं राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। दो वर्ष के परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंखला का नियमित वेतनमान 9300-34800 में ग्रेड पे 3600 देय होगा। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 01.01.2004 के अनुसार नयी भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना का प्रावधान है।

6. न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएँ

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा (23) की उप धारा (1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 23, अगस्त 2010 एवं 29 जुलाई 2011 के द्वारा संशोधित अधिसूचना व मान.उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दि. 29.08.2017 अनुसार राजस्थान अध्यापक भर्ती 2016 (संशोधित) में सम्मिलित होने हेतु न्यूनतम योग्यताएँ एवं न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार होंगे :-

6.1 कक्षा 6 से 8 (स्तर-द्वितीय) के लिए :-

General Education (Class 6 to 8) :-

A. स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)

Graduation and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known).

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय स्नातक (बी.एड.)

Graduation with at least 50% marks and 1-year Bachelor in Education (B.Ed).

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय स्नातक (बी.एड.) जो इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

Graduation with at least 45% marks and 1-year Bachelor in Education (B.Ed), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard.

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक (बी.एल.एड.)

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए./बी.एस.सी. एड. या बी.ए.एड./बी.एस.सी.एड.

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year B.A./B.Sc.Ed. or B.A. Ed./B.Sc.Ed.

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा) या एक वर्षीय बी.एड (विशेष शिक्षा) Graduation with at least 50% marks and 1-year B.Ed. (Special Education).

तथा

B. (i) सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के लिए, अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र में से कम से कम एक विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए

For the teacher of Social Science, the candidate must have passed Graduation or equivalent examination with at least one subject as an optional subject from among History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration and Philosophy.

(ii) गणित के अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में गणित विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए

For the teacher of Mathematics, the candidates must have passed Graduation or equivalent examination with Mathematics as an optional subject.

(iii) विज्ञान के अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान (माइक्रो-बायोलोजी), जैव प्रौद्योगिकी (बायो-टेक्नोलोजी) और जैव रसायन विज्ञान (बायो-केमिस्ट्री), में से कम से कम एक विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए

For the teacher of Science, the candidate must have passed Graduation or equivalent examination with at least one subject as an optional subject from among Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Micro-Biology, Bio-technology and Bio-chemistry.

(iv) भाषा के अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में तत्संबंधी भाषा विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए

For the teacher of language, the candidate must have passed Graduation or equivalent examination with the corresponding Language as an optional subject.

(v) अभ्यर्थी जो प्राथमिक शिक्षा (बी.एल.एड.) या बी.ए.बी.एड./बी.एससी. बीएड, अर्थात् चार वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम की अर्हता के साथ स्नातक हो और वह अर्हता परीक्षा तत्संबंधी विषय के साथ भी उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए

The candidate who has Graduated in Elementary Education (B.El.Ed.) or B.A., B.Ed./B.Sc., B.Ed., i.e. a candidate with the qualification of four years integrated course, must also have passed the qualifying examination with the corresponding subject.

तथा

C. आवेदित विषय में रीट/आरटेट उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए।

Must have passed the REET/RTET in the subject applying for.

स्पष्टीकरण— प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती हेतु वरीयता सूची (Merit List) में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET/REET) में न्यूनतम 60 प्रतिशत उत्तीर्णक (Minimum Passing Marks) अर्जित करना अनिवार्य होगा। परन्तु राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक F.7(I)EE/Plan/2011 दिनांक 29.08.2012 के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों (Scheduled Area's) के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 36 प्रतिशत उत्तीर्णक (Minimum Passing Marks) अनिवार्य होगा। अधिसूचना जारी होने से पूर्व आयोजित हुई आरटेट 2011 के सम्बंध में उन्हें यह छूट देय नहीं होगी।

6.2 अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम :- इस अधिसूचना के संदर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) द्वारा मान्यता-प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) और बी.एड (विशेष शिक्षा) के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई) द्वारा मान्यता-प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि आरसीआई द्वारा विशेष शिक्षा के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम मान्य होगा परन्तु पाठ्यक्रम की अवधि व अध्यापक हेतु योग्यता एनसीटीई द्वारा निर्धारित अनुसार ही मान्य होगी।

6.3 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्डपीठ द्वारा विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 20.5.2011 के क्रम में स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान के पत्रांक एफ 7(1)ई.ई/ प्लान/2011 दिनांक 17 जून 2011 के अनुसार निम्न अभ्यर्थी भी राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2016 (संशोधित) में भाग लेने हेतु पात्र होंगे—

(i) ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 27.09.07 जारी होने से पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है, उन्हें स्नातक स्तर या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त होने की बाध्यता नहीं है।

(ii) ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 27.9.07 जारी होने के बाद परन्तु अधिसूचना दिनांक 31.8.09 के जारी होने से पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया था, उन्हें स्नातक स्तर या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्त होने की बाध्यता है।

(iii) ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 31.8.09 के जारी होने के बाद शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया था, उन्हें स्नातक स्तर या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्त होने की बाध्यता है।

6.4 बिन्दु सं0 6 (1) A में वर्णित शैक्षणिक योग्यताओं के मापदण्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/नि:शक्तजन के अर्हक अंकों में नियमानुसार 5 प्रतिशत की छूट देय होगी। मान0 राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एसबी सिविल रिट सं0 10182/2012 राजरानी बनाम राज. राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.10.2012 की पालना में सामान्य वर्ग की विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं में 5 प्रतिशत छूट के संबंध में डीबी सिविल रिट संख्या 1022/2013 में उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा पारित निर्णय के अधधीन उनका चयन रहेगा किन्तु अन्तिम निर्णय होने तक उनकी नियुक्ति नहीं की जावेगी।

- 6.5 ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने जम्मू एवं कश्मीर से शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम पूरा किया है, वे भी राजस्थान राज्य के अन्य अभ्यर्थियों के समान ही पात्र होंगे।
- 6.6 अभ्यर्थी द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET/REET) से पूर्व प्रशैक्षिक योग्यता (बी.एड./समकक्ष) अर्जित होनी अनिवार्य है।
- 6.7 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक तक सभी आवश्यक योग्यताएँ अर्जित करना अनिवार्य है।

7. नियुक्ति हेतु निरर्हता :-

- राजकीय सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसके 1.6.2002 को या उससे पश्चात् दो से अधिक संतानें हैं, परन्तु दो से अधिक संतानों वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हत नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की संख्या, जो 1 जून 2002 को थी, में वृद्धि न हो। परन्तु यह और कि जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्व के प्रसव से एक संतान हो किन्तु किसी पश्चात्वर्ती एकल प्रसव से एकाधिक संतानें जन्म ले लें तो संतानों की कुल संख्या गिनते समय इस प्रकार जन्मी संतानें एक समझी जायेगी।
- कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियों हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार, इस बात का समाधान करने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट न दे दे।
- कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले से ही कोई पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी, जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के प्रवर्तन से उस महिला अभ्यर्थी को छूट न दे दे।
- यदि अभ्यर्थी - (a) अच्छे चरित्र का नहीं है, या (b) किसी भी अन्य पंचायती राज संस्था या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या राज्य या केन्द्रीय सरकार की सेवा से अवचार के कारण पदच्युत किया गया है, या (c) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्लित है, या (d) किसी पंचायती राज संस्था या किसी नगरपालिका का सदस्य है तो वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
नोट - उपरोक्त तथ्यों को छुपाने पर यदि अभ्यर्थी नियुक्ति प्राप्त कर लेता है तो वह विभागीय/कानूनी कार्यवाही का स्वयं उत्तरदायी होगा।

8. नियुक्ति हेतु -

8.1 आयु सीमा :-

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 265 के अनुसार आयु की दृष्टि से राजकीय सेवा में तृतीय श्रेणी शिक्षक पद पर भर्ती हेतु वहीं अभ्यर्थी पात्र होगा जिसकी आयु दिनांक 01.01.2018 को 18 वर्ष से अन्यून हो तथा 35 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया होना चाहिये। परन्तु यह है कि जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो, और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष आयु की दृष्टि से पात्र था, तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट तीन वर्ष से अधिक नहीं दी जावेगी अर्थात् तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा पश्चात्वर्ती वर्षों में न होने वाले वर्षों के आधार पर अधिकतम 3 वर्ष तक ऊपरी आयु सीमा में छूट देय होगी।

निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट देय है:-

- राजस्थान राज्य के अ.जा/अ.ज.जा./पि.व. के पुरुष अभ्यर्थी या सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिये ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।
- राजस्थान राज्य की अ.जा/अ.ज.जा./पि.व. के महिला अभ्यर्थी के लिये ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी।
- भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
- विधवाओं एवं विवाह विच्छिन्न महिलाओं के मामलों में अधिवार्षिकी आयु प्राप्ति तक कोई आयु सीमा नहीं होगी।
स्पष्टीकरण : उसे विधवा होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा और विवाह विच्छिन्न होने के मामले में नियमानुकूल तलाक का सबूत देना होगा।
- ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में जो उसकी दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी भी पद पर अधिष्ठायी आधार पर सेवा कर चुका है और इन नियमों के अधीन वह नियुक्ति का पात्र हो तो उस पर अधिवार्षिकी आयु सीमा तक ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी।
- ऐसे भूतपूर्व कैदी जो अपनी दोषसिद्धि से पूर्व अधिक आयु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था, कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक नियमानुसार शिथिलन देय है।
- कॉर्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.17 के अनुसार सामान्य पदों के विरुद्ध आरक्षित वर्ग (राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
- राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।

- ix. राजस्थान विशेष योग्यजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के नियम 39 के प्रावधानों के अनुसार सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा एस.सी./एस.टी. के विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में क्रमशः 10, 13 व 15 वर्ष की छूट देय है।
- x. एनसीसी कैडेट इन्स्ट्रक्टर को अधिकतम आयु सीमा में उतने ही काल की छूट दी जावेगी जितनी सेवा उन्होंने एनसीसी में की होगी और यदि पारिणामिक आयु अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।
- xi. रिलीज्ड इम्प्रेन्सी कमीशन्ड ऑफिसर/शोर्ट सर्विस कमीशन्ड सेवा में कमीशन ग्रहण करते यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे तो सेवा से निर्मुक्त होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझा जावेगा।
- xii. 1971 में हुए भारत-पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।
- xiii. पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में स्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
नोट :- उपरोक्त पैरा के प्रावधान 1 से 13 तक पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

8.2 आरक्षण प्रावधान :

- (i) उपरोक्त पदों में अ0जा0/अ0ज0जा0/नॉन क्रिमीलेयर अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष योग्यजन/भूतपूर्व सैनिकों/उत्कृष्ट खिलाड़ियों/महिलाओं (विधवा एवं विवाह विच्छिन्न महिलाओं सहित) व बारां जिले के सहरिया आदिम जाति का नियमानुसार आरक्षण देय होगा। राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रिमीलेयर श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं है। ऐसी स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रिमीलेयर श्रेणी के आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकते हैं।

स्पष्टीकरण:-

- (अ) विज्ञापित पदों में राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.1.2013 के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को आगामी तीन भर्ती वर्षों के लिये अग्रणीत किया जायेगा। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे वर्षों को उक्त तीन वर्ष की अवधि में गणित नहीं किया जायेगा।
 - (ब) क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिये मान्य होगा, एक बार क्रिमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है अर्थात् क्रिमीलेयर में नहीं होने बाबत जारी ओबीसी प्रमाण पत्र को जारी होने की तिथि से 3 वर्ष (अधिकतम) तक मान्यता दी जा सकती है।
- (ii) अध्यापक सीधी भर्ती 2016 (संशोधित) में 12.5 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिये तथा 2.00 प्रतिशत पद उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षण दण्डवत होगा एवं अभ्यर्थी जिस प्रवर्ग का है वह उसी में गिना जावेगा।

स्पष्टीकरण:-

- (क) भूतपूर्व सैनिक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने भारत संघ की नियमित थलसेना, जलसेना, वायुसेना के किसी भी रैंक में, योद्धक या योद्धक-भिन्न के रूप में सेवा की हो और (अ) जो ऐसी सेवा से पेंशन उपार्जित करके सेवानिवृत्त हुआ हो, या (ब) जो ऐसी सेवा से चिकित्सीय आधारों पर, जो ऐसी सेवा के लिये निर्धारित हो या उन परिस्थितियों के कारण, जो उसके नियंत्रण से परे हो, सेवा से निर्मुक्त किया गया हो और जिसे चिकित्सीय या अन्य नियोग्यता पेंशन प्रदान की गयी हो, या (स) जो अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा संस्थापन में कटौती के परिणामस्वरूप उक्त सेवा से निर्मुक्त किया गया, या जो अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा नियुक्ति की विनिर्दिष्ट कालावधि पूर्ण करने के पश्चात या कदचार अथवा अदक्षता के कारण पदच्युति की सेवोन्मुक्ति के कारण उक्त सेवा से निर्मुक्त हुआ हो और जिसे सेवानिवृत्ति उपादान दिये गये हों, और इसमें प्रादेशिक थल सेना के लगातार इम्बॉडिड (Embodied) सेवा के पेंशनधारक, सैन्य सेवा के लिये निर्धारित नियोग्यता वाले व्यक्ति, वीरता पुरस्कार विजेता प्रवर्गों के कार्मिक भी सम्मिलित है।
- (ख) "उत्कृष्ट खिलाड़ियों" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने:-
- (अ) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो, या
- (ब) इण्डियन स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गोम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो, या

- (स) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, या
- (द) इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिशः स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।
- (iii) विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के लिये :-
- (अ) राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के अनुसार निशक्त अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा।
- (ब) विशेष योग्यजन के लिये दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण भी दण्डवत (Horizontal) होगा अर्थात् अभ्यर्थी जिस प्रवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग) का होगा उसे उसी प्रवर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा।
- (स) विशेष योग्यजन आवेदक ऑनलाईन आवेदन पत्र में यथास्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।
- (द) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के संबंध में राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 में वर्णित प्रक्रिया से प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत निःशक्तता का प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक को विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जावेगा।
- (य) विशेष योग्यजन के आरक्षित पदों के लिये पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने या किसी भी पर्याप्त कारण के पद भरा नहीं जा सकता हो, वहां ऐसी रिक्ति को अग्रणीत किया जावेगा, परन्तु पद सामान्य प्रक्रिया से भरा जा सकेगा।
- (iv) राजस्थान की अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य वर्ग से भरा जावेगा।
- (v) विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (Categorywise) रखे जाने का प्रावधान है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, उसी में समायोजित किया जावेगा।

स्पष्टीकरण

- (अ). किसी वर्ग (सामान्य/अ0जा0/अ0ज0जा0/अन्य पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से सामान्य प्रक्रियानुसार भरा जा सकेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग केटिगरी में आवेदन करने वाली विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग का नोन क्रिमीलेयर का नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ब). महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाये गये पदों में से नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत पद परित्यक्ता (विवाह विच्छिन्न महिला) के लिये आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा के लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह विच्छिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। किसी वर्ग (सामान्य/अ.जा/अ.ज.जा/अपिव) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा/परित्यक्ता महिला (विच्छिन्न विवाह महिला) अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की वरीयता प्राप्त अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।
- (स). मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं के मामले में न्यायालय की तलाक की डिक्री के अलावा तलाकनामा जारी करने हेतु अधिकृत काजी द्वारा जारी तलाकनामा भी मान्य होगा परन्तु इस बाबत महिला को समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जो उनके तलाक को प्रमाणित करें एवं साथ ही महिला स्वयं को भी इस संबंध में स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- (vi) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, जो राजस्थान राज्य के स्थाई निवासी हैं, से ही भरे जावेंगे। राजस्थान राज्य के स्थाई निवासी नहीं होने पर आवेदक को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।
- (vii) विज्ञापित पदों में राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.1.2013 के अनुसार भरा नहीं जाकर आरक्षित रिक्तियों को आगामी तीन भर्ती वर्षों के लिये अग्रणीत किया जायेगा। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे वर्षों को उक्त तीन वर्ष की अवधि में संगणित नहीं किया जायेगा।
- (viii) राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा।

- (ix) राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रीमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर एवं नॉन क्रीमिलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत माने जायेंगे।
- (x) अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष योग्यजन का प्रमाण पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म में प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए; अन्यथा अंतिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण पत्रों के अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जावेगा।

9. आवेदन शुल्क :-

आवेदक अपनी पात्रता के अनुरूप निम्नानुसार आवेदन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से जमा करायेंगे।

नोट- (i) राजस्थान राज्य से बाहर के राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का आवेदक माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिये निर्धारित शुल्क देना होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 15.10.2016 है। अतः अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना समय सीमा में आवेदन करें।

(iii) राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2016 हेतु पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या 01/2016 दिनांक 06.07.2016 के तहत जिन आवेदकों द्वारा लेवल द्वितीय के लिए आवेदन किया गया था उन्हें दुबारा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी। वे पूर्व आवेदन पत्र की एप्लीकेशन रेफरेंस आई डी का विवरण देते हुए अपने पूर्व आवेदन पत्र की सूचनाओं को अपडेट करेंगे।

> शुल्क का विवरण

- (क) सामान्य वर्ग व क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु - रुपये 100/-
 (ख) राजस्थान के नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु - रुपये 70/-
 (ग) राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु - रुपये 60/-

नोट:-

- I. अभ्यर्थी द्वितीय लेवल में अलग-अलग विषय में भर्ती हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे अलग-अलग विषय हेतु पृथक-पृथक आवेदन निर्धारित शुल्क सहित करना होगा।
- II. अभ्यर्थी शुल्क जमा कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करलें कि वे इस विज्ञापित के अनु. -6 के अनुसार निर्धारित मापदण्डों के आधार पर आवेदन करने का पात्र है। यदि बिना जांच किए शुल्क जमा कराया जाता है तो इसे वापस नहीं लौटाया जायेगा।
- III. ऑनलाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन-पत्र का प्रारूप वेबसाइट www.education.rajasthan.gov.in/elementary से डाऊनलोड कर लें। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र पूरी सावधानी के साथ भरें। त्रुटि रहित आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन आनलाईन भरे जाने से पूर्व कच्चा आवेदन पत्र भरकर उसे जांचकर अपने साथ रखें।
- IV. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में जो भाषा, विषय, श्रेणी, जन्मतिथि तथा जिलों की वरीयता का चयन किया गया है, उसमें बाद में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

10. भर्ती प्रक्रिया :-

1. उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती हेतु वरीयता सूची (Merit List) में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET/REET) में न्यूनतम 60 प्रतिशत उत्तीर्णांक (Minimum Passing Marks) अर्जित करना अनिवार्य होगा। परन्तु राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक F.7(I)EE/Plan/2011 दिनांक 29.08.2012 के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों (Scheduled Area's) के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 36 प्रतिशत उत्तीर्णांक (Minimum Passing Marks) अनिवार्य होगा। अधिसूचना जारी होने से पूर्व आयोजित हुई आरटेट 2011 के सम्बंध में उन्हें यह छूट देय नहीं होगी।
2. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET/REET) (RTET 2011, RTET 2012 व REET 2015) में से अधिकतम प्राप्तांक प्रतिशत का 70 प्रतिशत एवं स्नातक परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत का 30 प्रतिशत लिया जाकर कुल 100 प्रतिशत में से राज्य स्तरीय मैरिट बनाई जायेगी।

3. अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जिले की प्राथमिकता के आधार पर जिला आवंटन कर जिलेवार सूची नियुक्ति हेतु संबंधित जिला परिषदों को भेजी जायेगी। जिला परिषदों द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता एवं दस्तावेजों की जांच करने के पश्चात मैरिट के आधार पर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

11. भर्ती हेतु योग्यता सूची (Merit List) की प्रक्रिया :-

1. बिन्दु संख्या 10 के अनुसार अभ्यर्थियों की योग्यता सूची में मैरिट दशमलव के दो अंकों तक तैयार की जायेगी।
2. राज्य स्तरीय मैरिट बनाई जाकर अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जिले की प्राथमिकता के आधार पर जिलेवार सूची तैयार की जाकर नियुक्ति हेतु संबंधित जिला परिषदों को भेजी जायेगी।

स्पष्टीकरण:-

समान वरीयता (Merit) प्राप्त करने वाले अर्थात दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान प्राप्तांक होने पर इन अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जन्म तिथि तथा प्राप्तांक समान होने पर अभ्यर्थी की उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वरीयता निर्धारित की जावेगी। उच्च शैक्षणिक योग्यता एवं जन्मतिथि समान होने की स्थिति में अभ्यर्थी की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता निर्धारित की जावेगी। उपरोक्त समस्त परिस्थितियां समान होने पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्व में उत्तीर्ण किये गये वर्ष को प्राथमिकता देते हुए वरीयता निर्धारित की जावेगी।

12. अन्य आवश्यक निर्देश/सूचना

1. गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के लिए अनुसूचित क्षेत्र सहित सम्पूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान के बाहर के निवासी भी पात्र होंगे।
2. जिलेवार विकल्प सूची में शामिल होने के लिये भर्ती हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP) के लिए 31 जिलों की वरीयता देनी होगी जिलेवार विकल्प आवेदन पत्र में उपलब्ध है। तृतीय श्रेणी अध्यापक का कैंडर जिलेवार होता है।
3. अभ्यर्थियों को उनके द्वारा RTET/REET परीक्षा/स्नातक परीक्षाओं के नामांक, उत्तीर्णांक एवं उत्तीर्ण वर्ष इत्यादि की सूचना आवेदन पत्र में आवश्यक रूप से देनी अनिवार्य होगी।
4. ऑनलाइन फॉर्म भरने की अन्तिम दिनांक को रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकेंगे। रात्रि 12 बजे बाद लिंक निष्क्रिय हो जायेगा। अतः अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना विज्ञप्ति प्रकाशित होने के साथ ही समय सीमा में आवेदन करें।
5. आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही वरीयता सूची बनायी जावेगी। उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की वैधता की जांच नहीं की गई है, अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाये/अभ्यर्थी के अनुपस्थित होने पर वह अभ्यर्थी अपात्र माना जायेगा।
6. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.06 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
7. किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जायेगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।
8. किसी भी प्रतियोगी/पात्रता परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस भर्ती हेतु आवेदन नहीं कर सकते।
9. सभी आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो, या राजकीय औद्योगिक उपक्रमों में हो, या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में हो, या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, उन्हें नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जो आवेदक पहले से ही राजकीय सेवा/उक्त उपक्रमों में कार्यरत है, उन्हें अपने नियोक्ता को इस भर्ती हेतु आवेदन करने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्राप्त कर लेना चाहिये।

13. अभ्यर्थी को चयन होने पर निम्नांकित प्रारूप में घोषणा एवं शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

13.1 आवेदक द्वारा घोषणा

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री (नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. मैंने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के संबंधित भर्ती नियमों के लिए निर्धारित सामान्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया है। जिनकी पालना करने के लिए मैं बाध्य हूँ।
2. मैं किसी भी स्थिति में जमा शुल्क लौटाने के लिए नहीं कहूँगा/कहूँगी।
3. मुझे किसी भी अपराधिक कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय ने कभी दण्डित नहीं किया है। पूर्व आयोजित प्रतियोगी/पात्रता परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयुक्त करने पर अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
4. (अ) किसी गलती या विवाद की स्थिति में पहले मैं प्रकरण संबंधी पूर्ण वस्तुस्थिति के साथ निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राज0 बीकानेर में प्रतिवेदन भेजूंगा/भेजूंगी और 30 दिवस में मामले का निस्तारण न होने के पश्चात् ही न्यायालय से न्याय प्राप्ति हेतु कार्यवाही करूँगा/करूँगी।
(ब) यदि मैंने अकारण अथवा वास्तविक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर निदेशालय के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर किया तो निदेशालय को समुचित मुआवजा देने को बाध्य होऊँगा/होऊँगी।
5. मैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिसूचना दिनांक 23, अगस्त 2010 सपटित (29 जुलाई 2011) के संशोधित मापदण्डानुसार, NCTE की Guidelines व राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार नियुक्ति की पात्रता रखता/रखती हूँ।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित प्रमाण पत्र वैध अवधि का है।
7. आवेदन पत्र में कमी, त्रुटि होने, तथ्य छिपाने, गलत तथ्य देने की वजह से आवेदन पत्र/पात्रता नहीं रखने पर किसी भी स्तर पर निरस्त किये जाने हेतु मेरी सहमति है।
8. मैं डाऊनलोड किया हुआ आवेदन-पत्र, घोषणा पत्र, शपथ-पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेज स्वयं के पास सुरक्षित रखूँगा/रखूँगी, जिन्हें कार्यालय द्वारा मंगवाये जाने पर निर्देशानुसार जमा करा दूँगा/दूँगी।
9. मेरे मूल दस्तावेजों का अन्तिम सत्यापन नियुक्ति देने वाली संस्था द्वारा किया जायेगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी अथवा कोई तथ्य गलत पाया जाये तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
10. मैं इस तथ्य से भलिभाति अवगत हूँ कि निर्धारित पात्रता प्राप्त होने अथवा योग्यता सूची में शामिल होने से ही मुझे अध्यापक पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
11. मुझे यह जानकारी है कि विज्ञप्ति में वर्णित शर्तों के अनुसार पात्रता होने की स्थिति में ही भर्ती हेतु पात्र माना जाऊँगा/जाऊँगी।
12. मैं इस तथ्य से भलिभाति अवगत हूँ कि मेरे किसी भी दस्तावेज का इस भर्ती से पूर्व सत्यापन नहीं किया गया है। समस्त वांछित मूल दस्तावेज मैं नियुक्ति के समय नियोक्ता संस्था के समक्ष प्रस्तुत कर दूँगा/दूँगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

फोन नम्बर मय कोड :

मोबाईल नम्बर :

नाम :

पता :

13.2 आवेदक का शपथ-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री उ.प्र.
जाति निवासी व्यवसाय शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि -

- मैंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 23, अगस्त 2010 व संशोधित अधिसूचना 29 जुलाई 2011 एवं इस विज्ञप्ति में दिये गये निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लिया है तथा मैं अध्यापक नियुक्ति की न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता रखता/रखती हूँ।
- मैं निशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 2 के खण्ड (ब) में सन्दर्भित स्कूलों में अध्यापक के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताएँ रखता/रखती हूँ। मेरे द्वारा भरे आवेदन-पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों में यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि मैं न्यूनतम योग्यता नहीं रखता/रखती हूँ अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं या झूठा शपथ-पत्र दिया गया है तो मैं राज्य सरकार द्वारा अध्यापक पद के लिये विज्ञापित किसी भी नियुक्ति के लिये अयोग्य माना जाऊँगा/मानी जाऊँगी।
- मुझे किसी भी अपराधिक कृत्य के लिये किसी भी न्यायालय द्वारा कभी दण्डित नहीं किया गया है।
- किसी गलती या विवाद की स्थिति में, मैं अपना प्रतिवेदन निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राज0 बीकानेर को प्रस्तुत करूँगा/करूँगी। 30 दिन तक भी प्रकरण का निस्तारण नहीं होने के बाद ही न्यायालय में न्याय प्राप्ति हेतु कार्यवाही करूँगा/करूँगी।
- मेरे मूल दस्तावेजों का सत्यापन नियुक्ति देने वाली संस्था द्वारा किया जावेगा। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि या कमी अथवा कोई तथ्य गलत पाये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।
- मैं इस तथ्य से भली-भाँति अवगत हूँ कि भर्ती हेतु मेरिट लिस्ट में शामिल होना भर्ती के लिए एक आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड है। मात्र इस कारण से मुझे अध्यापक पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम :

स्वसत्यापन

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री उम्र..... जाति.....
 निवासी..... व्यवसाय..... सत्यापन करता/करती हूँ कि उक्त शपथ-पत्र में
 अंकित सभी कथन मेरी जानकारी एवं निष्ठा के अनुसार सही एवं सत्य हैं। इसमें मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है।

हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम :

मोबाईल नम्बर :

13.3 आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची

सीधी भर्ती में अभ्यर्थियों से अपने मूल ऑनलाईन आवेदन-पत्र, घोषणा-पत्र तथा शपथ-पत्र एवं अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां जमा करवाई जाएंगी। अतः इस सम्बन्ध में सूचना समाचार-पत्रों के माध्यम से यथासमय प्रकाशित करवा दी जायेगी।

क्र.सं.	दस्तावेज/प्रमाण-पत्र का नाम	संलग्न सं.
1	मूल आवेदन-पत्र	
2	घोषणा-पत्र (उपरोक्त निर्धारित प्रारूप में)	
3	शपथ-पत्र (उपरोक्त निर्धारित प्रारूप में)	
4	सैकण्डरी/समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
5	सीनियर सैकण्डरी/समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
6	स्नातक/समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
7	बीएसटीसी/ बी.एड./समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
8	मूल निवास प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।	
9	जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित क्षेत्र जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) की प्रमाणित प्रति। जो कि पिता के नाम से जारी किया हुआ होना चाहिए। नोट :- अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वैध अवधि का प्रमाण पत्र हो।	
10	शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र (सक्षम अधिकारी से प्रमाणित प्रति) (Under Clause (1) of section 2 of the Persons with disabilities (Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation) Act. 1995)	
11	विधवा की स्थिति में स्वयं का शपथ-पत्र एवं पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।	
12	विवाह विच्छिन्न होने पर न्यायालय निर्णय/डिक्री की प्रमाणित प्रति।	
13	RTET -2011 का प्रमाण पत्र (यदि परीक्षा 60% या अधिक अंको (टीएसपी एसटी के अभ्यर्थी के मामले में 36 प्रतिशत) से उत्तीर्ण की है तो।)	
14	RTET -2012 का प्रमाण पत्र (यदि परीक्षा 60% या अधिक अंको (टीएसपी एसटी के अभ्यर्थी के मामले में 36 प्रतिशत) से उत्तीर्ण की है तो।)	
15	REET 2015 का प्रमाण पत्र (यदि परीक्षा 60% या अधिक अंको (टीएसपी एसटी के अभ्यर्थी के मामले में 36 प्रतिशत) से उत्तीर्ण की है तो।)	
कुल संलग्नकों की संख्या		

अभ्यर्थियों के दिशा निर्देशों हेतु हैल्प-लाइन तथा ई-मेल की सुविधा :

अभ्यर्थी अपने आवेदन के विषय में किसी भी प्रकार के मार्ग दर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए सभी कार्य दिवसों में 10 से 5 बजे के मध्य, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राज0बीकानेर पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं अथवा ई-मेल नं 0151-2207047 पर कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं।

निदेशक प्रारंभिक शिक्षा

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2016 (संशोधित)
तृतीय श्रेणी अध्यापकों के विज्ञापित किये जाने वाले पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र)

क्र.सं.	जिले का नाम	द्वितीय लेवल				
		कुल पद	हिन्दी	अंग्रेजी	विज्ञान-गणित	विशेष शिक्षक
1	AJMER	104	0	100	0	4
2	ALWAR	254	0	250	0	4
3	BARAN	154	0	154	0	0
4	BARMER	988	100	538	350	0
5	BHARATPUR	204	0	200	0	4
6	BHILWARA	303	0	300	0	3
7	BIKANER	106	0	100	0	6
8	BUNDI	102	0	100	0	2
9	CHITTAURGARH	208	0	208	0	0
10	CHURU	100	0	100	0	0
11	DAUSA	100	0	100	0	0
12	DHAULPUR	4	0	0	0	4
13	GANGANAGAR	204	0	200	0	4
14	HANUMANGARH	100	0	100	0	0
15	JAIPUR	317	0	300	0	17
16	JAISALMER	103	0	100	0	3
17	JALOR	150	0	150	0	0
18	JHALAWAR	202	0	200	0	2
19	JODHPUR	653	0	300	350	3
20	KARAULI	108	0	100	0	8
21	KOTA	104	0	100	0	4
22	NAGOUR	300	0	300	0	0
23	PALI	202	0	200	0	2
24	PRATAPGARH (RAJ.)	20	0	20	0	0
25	RAJSAMAND	153	0	150	0	3
26	SAWAI MADHOPUR	100	0	100	0	0
27	SIKAR	101	0	100	0	1
28	SIROHI	2	0	0	0	2
29	TONK	152	0	150	0	2
30	UDAIPUR	447	0	220	227	0
योग		6045	100	4940	927	78

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर